

आदेश

आज दिनांक 08.01.2016 को प्रातः 09:30 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में हुई Video Conference में बाढ़ के पानी की निकासी, तालाबों की सफाई व जल भरने तथा सिंचाई एवं ड्रेन आदि की सफाई के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार उक्त कार्यों के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जिला टास्क फोर्स कमेटी का गठन निम्न प्रकार किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कमेटी अपने-2 अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से कार्य प्रारम्भ करे व ये आदेश पूरा वर्ष निरन्तर प्रभाव में रहेंगे।

1. शहरी क्षेत्र:-

1. कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, भिवानी/दादरी।
2. जिला के सभी कार्यकारी अधिकारी/नगरपरिषद अभियन्ता/सचिव, नगरपरिषद/नगरपालिका।

2. ग्रामीण क्षेत्र:-

1. यमुना जल सेवायें परिमण्डल/लोहारू जल सेवायें परिमण्डल, भिवानी के सभी कार्यकारी अभियन्ता।
2. कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, भिवानी।

पृ० क्रमांक

138

/एफ0आर0ए0

दिनांक 8/1/16

एच।
उपायुक्त, भिवानी।

प्रेषित है:-

1. अधीक्षक अभियन्ता, यमुना/लोहारू जल सेवायें परिमण्डल, भिवानी।
2. अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी परिमण्डल, भिवानी।
3. कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मण्डल, भिवानी/दादरी।
4. यमुना जल सेवायें परिमण्डल/लोहारू जल सेवायें परिमण्डल, भिवानी के सभी कार्यकारी अभियन्ता।
5. कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज, भिवानी।
6. जिला के सभी कार्यकारी अधिकारी/नगरपरिषद अभियन्ता/सचिव, नगरपरिषद/नगरपालिका।
7. आशुलिपिक समीप उपायुक्त भिवानी।

f
उपायुक्त, भिवानी।
CTM(Bhinani).